

न्यायालय अपर सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं-2 , शिकोहाबाद, फिरोजाबाद
उपस्थिति - प्रज्ञा पाराशर (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)
दांडिक वाद संख्या - 3724/2010

उत्तर प्रदेश की ओर से पुलिस थाना एका, फिरोजाबाद .

.....अभियोजन

नरेश पुत्र वीरेंद्र सिंह, उम्र लगभग 42 वर्ष, पेशा मजदूरी, निवासी सोनई थाना एका,
फिरोजाबाद

.....अभियुक्त

अपराध संख्या - 151/95
धारा - 354 भारतीय दंड संहिता
थाना - एका
जिला - फिरोजाबाद

निर्णय

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त नरेश का विचारण अपराध संख्या 151/95 अंतर्गत धारा 354 भारतीय दंड संहिता के मामले में थाना एका, फिरोजाबाद द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किए जाने पर हो रहा है।

मामले की तहरीर, विवेचना और संकलित साक्ष्य के अनुसार, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 28-10-1995 को समय करीब 9 बजे वादिया राजेश्वरी पुत्री रामसनेही चारा लेने अपने खेत को जा रही थी तब सत्यपाल तोमर के अरहर के खेत के पास अभियुक्त नरेश पुत्र वीरेंद्र निवासी ग्राम सोनई थाना एका, फिरोजाबाद वादिया का पीछा कर रहा था और उसको एकांत देखकर अभियुक्त नरेशचंद्र ने उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसके साथ छेड़ छाड़ की तो वह चिल्ला उठी जिससे काफी लोग आ गए और अभियुक्त नरेशचंद्र वहां से भाग गया। इस घटना की तहरीर प्रदर्श क-1 वादिया द्वारा थाने पर दी गई। तहरीर के आधार पर पुलिस थाना एका द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 151/95 दर्ज की गई जिसमें विवेचना उपरान्त साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त नरेश के विरुद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 354 भारतीय दंड संहिता न्यायालय में प्रेषित किया गया।

न्यायालय द्वारा आरोप पत्र के आधार पर धारा 354 भारतीय दंड संहिता के अपराध का संज्ञान लिया गया।

अभियुक्त नरेश ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी जमानत कराई। अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 20-10-2005 को आरोप अंतर्गत धारा 354 भारतीय दंड संहिता विरचित

✓

किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया तो अभियुक्त आरोप से इंकार किया और विचारण किए जाने की मांग की।

अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में अभियोजन साक्षी संख्या 1 के रूप में वादिया/ पीड़िता राजेश्वरी देवी और अभियोजन साक्षी संख्या 2 के रूप में चश्मदीद गवाह अनिल कुमार को परीक्षित कराया है।

न्यायालय द्वारा कई अवसर देने पर भी किसी अन्य अभियोजन साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। जिसके कारण अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गई है।

इस तरह अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त हुआ और पत्रावली धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के लिए नियत की गई। अभियुक्त ने अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में कहा कि यह मुकदमा झूठा है। उसने कोई हमला नहीं किया। उसने अभियोजन साक्षी संख्या 1 के द्वारा कही गई छेड़ छाड़ की बात को गलत कहा। अभियोजन साक्षी संख्या 2 के बयान के बारे में कुछ भी कहने से इंकार किया। और कहा की उपरोक्त मुकदमा उनके विरुद्ध रंजिश के कारण चला है तथा सफाई साक्ष्य में कोई साक्ष्य देने से इंकार किया है।

इसके पश्चात पत्रावली बहस के लिए नियत की गई।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा बहस करते हुए तर्क दिया गया की अभियुक्त द्वारा राजेश्वरी देवी की लज्जा भंग करने के आशय से उसपर हमला किया था जिसका समर्थन उसने अपनी मुख्य परीक्षा में किया है। इस कारण अभियुक्त नरेश को दंडित किए जाने की याचना की गई है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने बहस करते हुए कहा कि मामला वर्ष 1995 का है। अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है और न्यायालय के विचारण में पूर्ण सहयोग किया है। अभियोजन अपना मामला साबित करने में असफल रहा है ऐसी स्थिति में अभियुक्त नरेश चंद्र दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

न्यायालय के समक्ष अवधारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त नरेश चंद्र द्वारा वादिया/ पीड़िता राजेश्वरी की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक हमला या बल का प्रयोग किया गया?

अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित अभियोजन साक्षी संख्या 1 राजेश्वरी जो इस मामले की पीड़िता है, उसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा की घटना करीब 24 साल पुरानी है। अक्टूबर महीने में दिवाली के बाद की घटना है। वह चारा लेने खेत पर जा रही थी। 9 बजे थे। उसके पापा आगे चले थे, वह पीछे जा रही थी तभी पीछे से मुलजिम नरेश उसकी कमर को पीछे से पकड़ कर उसे अरहर के खेत में लेकर चला गया और उसके साथ खेत में गलत गलत काम करने लगा। उसकी झुमकी, लौंग और चैन लेकर भाग गया। उसकी आवाज को सुन कर लोग आ गए तब तक अभियुक्त भाग गया। वादिया/पीड़िता ने इसकी सूचना थाने पर बोल बोल के लिखवाई जिसकी कार्बन प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है जिस पर वादिया/पीड़िता के हस्ताक्षर है जिसकी उसने शिनाख्त की और जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया।

इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कहा कि महीना, तारीख का उसे नहीं पता। उसके पास घड़ी नहीं है, वह समय भी नहीं बता सकती। वह घर से खेत पर जा रही थी और साड़ी पहनी हुई थी। पीछे से कमर किसने पकड़ी, उसे नहीं पता और यह भी नहीं पता कि खेत में

कौन ले गया। छीना झपटी में चैन, झुमकी और नाक की लौंग खेत में गिर गए थे और नहीं मिले। अभियुक्त नरेश ने उसके साथ कोई छेड़ छाड़ नहीं की है, न ही खेत में पकड़ के ले गया। अभियुक्त नरेश उसके गांव का ही है। अभियुक्त ने वादिया/पीड़िता को कभी बुरी नजर से नहीं देखा। वह उसे बहन मानता है। किसी के कहने पर रंजिशवश उसने थाने में सूचना दे दी थी। उसे सूचना पड़कर नहीं सुनाई गई थी की उसके अंदर क्या लिखा है। पुलिस कभी उसके पास नहीं आई, न ही उसका बयान लिया। प्रदर्शक 1 जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, मूल रूप में नहीं है, उसकी छाया प्रति है इसलिए वह नहीं कह सकती की उस पर उसी के हस्ताक्षर हैं। एन.सी.आर की कार्बन प्रति अस्पष्ट है जबकि उसके हस्ताक्षर स्पष्ट है जिससे पता चलता है कि यह हस्ताक्षर बाद में बनाया गया है।

अभियोजन पक्ष द्वारा इर्स साक्षी की पुनः परीक्षा की गई जिसमें उसने कहा कि यह कहना सही है कि जब वह खेत में चारा लेने जा रही थी तो रास्ते में कोई उसे पकड़कर अरहर के खेत में ले गया लेकिन वह उसे नहीं देख पाई। यह कहना गलत है कि अभियुक्त ने उससे छेड़ छाड़ की और उसे पीछे से पकड़ा। घटना के पुलिस का घर आना और बयान लेना उसे याद नहीं है। उसे यह भी नहीं पता कि पुलिस उसके पिता के घर आई हो और उनका बयान ले गई हो।

वादिया/पीड़िता ने बताया की उसके पिता गवाह रामसनेही को मृत्यु हो चुकी है। इसके अतिरिक्त गवाह राजवीर सिंह और रमेश चंद्र चौहान की भी मृत्यु हो चुकी है। गवाह सूची में इन्हें किसने और कब शामिल किया, इसके बारे में उसे नहीं पता।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने साक्षी संख्या 1 से प्रश्न पूछा कि अभियुक्त नरेश ने उसके शरीर के किस अंग को छुआ और खेत में लेके गया तो साक्षी संख्या 1 ने कहा कि नरेश ने नहीं छुआ बल्कि जिस आदमी ने छुआ उसको वह नहीं जानती।

अभियोजन साक्षी संख्या 1 से पुनः प्रश्न पूछा कि चैन, कुंडल, नाक की लौंग छीन कर नरेश किस तरफ भागा था तो उसने उत्तर दिया के नरेश ने उसके साथ छीना झपटी नहीं की बल्कि गहने अरहर के खेत में गिर गए थे, इस कारण उसने यह लिखा दिया कि छीन के भाग गया। यह कहना गलत है कि वह समझौता हो जाने के कारण न्यायालय में झूठी गवाही दे रही है।

अभियोजन साक्षी संख्या 2 अनिल कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा की घटना उसके समक्ष नहीं हुई है। वह अभियुक्त नरेश चंद्र को जानता है। वह उसके ही गांव के भले व्यक्ति हैं। किसी औरत के साथ उनका कभी कोई गलत व्यवहार नहीं रहा है। राजेश्वरी देवी उसी के गांव की है लेकिन वह अब दिल्ली रहती है। घटना के सम्बन्ध में राजेश्वरी ने उसे कुछ नहीं बताया था। उसका नाम गवाह की सूची में कैसे आ गया, उसे नहीं पता।

इस स्तर पर अभियोजन साक्षी संख्या 2 को पक्षद्रोही घोषित किया गया। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन साक्षी संख्या 2 की पुनः परीक्षा की जिसमें उसने कहा कि राजेश्वरी करीब 22 साल पहले उसके गांव से चली गई थी क्योंकि उनका परिवार दिल्ली में रहता है। इस गांव में उनका मायका था। वह यहां आती रहती हैं और अभियोजन साक्षी संख्या 2 अनिल कुमार के घर भी आती - जाती हैं। वह भली औरत हैं और उनका किसी से कोई विवाद नहीं है। साक्षी अनिल कुमार ने घटना को अपनी आंखों से नहीं

देखा था, न ही राजेश्वरी देवी ने घटना के बारे में उसे कुछ बताया था। दरोगा जी गांव आते रहते हैं लेकिन इस घटना के सम्बन्ध में उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं पूछा।

गवाह को जब उसके बयान अंतर्गत धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता पढ़कर सुनाए गए उसने कहा कि दरोगा जी को बयान नहीं दिया। दरोगा जी ने कैसे लिखा पता नहीं।

अभियुक्त पक्ष द्वारा प्रति परीक्षण करने पर इस साक्षी द्वारा कहा गया कि उसकी समझ से अभियुक्त नरेश ने राजेश्वरी के साथ कोई घटना कारित नहीं की है। राजेश्वरी ने गांव वालों के कहने पर मुकदमा लिखाया हो तो उसे नहीं पता है।

मेरे द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक और अभिलेखीय साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

अभियुक्त नरेश पर धारा 354 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत राजेश्वरी की लज्जा भंग करने के आशय से उसके उपर आपराधिक हमला करने का आरोप लगाया गया है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार, जो भी कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने या यह जानते हुए कि ऐसा करने से वह कदाचित उसकी लज्जा भंग करेगा के आशय से उस स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जो कम से कम एक वर्ष होगी और जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

इस मामले में मुख्य साक्षी/पीड़िता/वादिया द्वारा आरोप बनने के लगभग 14 साल बाद न्यायालय में आकर गवाही दी गई। उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन किया गया लेकिन प्रति परीक्षा में उसने अभियुक्त नरेश के द्वारा छेड़ छाड़ किए जाने से साफ इंकार किया और कहा कि छेड़ छाड़ तो हुई थी लेकिन किसने की, यह उसे नहीं पता। यहां तक कि उसने अभियुक्त को अपने भाई के समान बताया है।

पीड़िता द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि उसने रंजिशवश किसी के कहने पर पुलिस को सूचना दी थी।

अभियोजन साक्षी संख्या 2 जिसे घटना का चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है, उसने अपनी परीक्षा में घटना के अपने सामने होने से इंकार किया है। यहां तक कि उसके द्वारा कहा गया है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

इस प्रकार मामले की मुख्य साक्षी जो मामले की पीड़िता भी है, उसके द्वारा ही अपनी प्रति परीक्षा में घटना से इंकार किया गया है। उसके अनुसार उसके साथ छेड़ छाड़ हुई थी लेकिन इस बात को लेकर उसे कोई संदेह नहीं है कि वह छेड़ छाड़ नरेश ने नहीं की थी। इस मामले में दोनों ही साक्षियों ने धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान से इंकार किया है।

ऐसी स्थिति में जब दंडिक वाद की पीड़िता विचारण प्रारंभ होने के 14 साल बाद न्यायालय में आकर अपना साक्ष्य अंकित कराती है और केवल मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन करती है तो केवल इस आधार पर अभियुक्त को दोषी साबित नहीं किया जा सकता। दंडिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला संदेह से परे साबित करना होता है। ऐसी परिस्थिति में या अभियोजन पक्ष का दायित्व है कि वह अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप को संदेह से परे साबित करे।

आनंद रामचंद्र चोगले बनाम सिदाराई लक्ष्मण चोगले(दांडिक अपील संख्या 1006/2010 और 1007/2010) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि अभियोजन पर सभी उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने के लिए बोझ निहित है। उसी के विपरीत, अभियुक्त को केवल अभियोजन मामले और इसके बचाव की संभावना के बारे में संदेह पैदा करना है। अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के विपरीत, सभी उचित संदेह से परे अपने बचाव को स्थापित करने या साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि अभियुक्त एक बचाव लेता है, जो अनुचित नहीं है और संभव प्रतीत होता है और ऐसे बचाव के समर्थन में सामग्री है तो अभियुक्त को आगे कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अभियुक्त को संदेह का लाभ तब तक दिया जाना चाहिए जब तक अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में सक्षम न हो।


प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा घटना का कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे घटना साबित हो सके। उपरोक्त तथ्यों के परिशीलन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है की अभियोजन अपना मामला साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त नरेश दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त नरेश को अपराध संख्या - 151/95 अंतर्गत धारा - 354 भारतीय दंड संहिता, थाना - एका, फिरोजाबाद के मामले में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त के व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

धारा 437 ए दंड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में अभियुक्त द्वारा 25,000/- रुपए के एक बंधपत्र और इतनी ही राशि का एक प्रतिभू दाखिल किए जाएं जो 6 माह तक प्रभावी रहेंगे। इसके पश्चात स्वतः ही निष्प्रभावी समझे जायेंगे।


दिनांक 24-03-2021


(प्रज्ञा पारशर)

अपर सिविल जज (जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं-2, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद

गया।

दिनांक 24-03-2021


(प्रज्ञा पारशर)

अपर सिविल जज (जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं-2, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद